



## MSMEs में NPA की बढ़ोतरी

### प्रलम्बिस् के लयिः

MSME और संबंघति योजनारुँ ।

### मेनुस् के लयिः


सरकारी नीतयिँ और हसुतकषेप, MSMEs कषेतर

## चरुा में कयुँ?

[भारतीय रजिरव बैक](#) (RBI) और सरकार द्वारा घुषति कई ःरण पुनरुगठन योजनारुँ और पैकेजुँ के बावजूद कुवडि महामारी ने [सुकषम, लघु एवं मध्यम उदुयमुँ](#) (MSMEs) कु बहुत अधकि प्रभावति कयिा है ।

- MSMEs की सकल गैर-नुषिपादति परसिपुतुतयिँ (NPAs) या इन उदुयमुँ द्वारा डफिँलुट कयिे गए ःरण, सतिंबर 2021 तुक 20,000 कुरोडु रुपए बढुकर 1,65,732 कुरोडु रुपए का हुे गया, कु सतिंबर 2020 में 1,45,673 कुरोडु रुपए थु ।
- MSMEs के [बैड लुन](#) अब 17.33 लख कुरोडु रुपए के 'सकुल अगुरुमि' (Gross Advances) का 9.6% है, कुबक सतिंबर 2020 में यह 8.2% थु ।
- इससे पहले MSME मंतुरालय ने 'MSME IDEA HACKATHON 2022' के साथ [एमएसएमई इनुवेटवि सुकीम](#) (इनक्यूबेशन, डजिाइन और IPR) लुँनुच की थी ।

॥



## गैर-नष्पादति परसिंपत्तक्या है?

- NPA उन ऋणों या अग्रमिों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है, जो डफिॉल्ट हो जाते हैं या जनिके मूलधन या ब्याज़ का अनुसूचित भुगतान बकाया होता है।
- अधिकतर मामलों में ऋण को गैर-नष्पादति के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिये न किया गया हो।
- शुद्ध गैर-नष्पादति परसिंपत्तकियाँ वह राशि है जो सकल गैर-नष्पादति परसिंपत्तकियों से 'प्रोवज़िन अमाउंट' की कटौती के बाद प्राप्त होती है।

## MSMEs पर कोवडि-19 का प्रभाव:

- 'बैड लोन' में वृद्धि रज़िर्व बैंक द्वारा जनवरी 2019, फरवरी 2020, अगस्त 2020 और मई 2021 में MSMEs के लिये घोषित चार ऋण पुनर्गठन योजनाओं के बाद भी हुई।
  - इन योजनाओं के तहत 1,16,332 करोड़ रुपए के 24.51 लाख MSMEs खातों के ऋणों का पुनर्गठन किया गया। रज़िर्व बैंक की ओर से जारी मई 2021 के सर्कुलर के तहत 51,467 करोड़ रुपए के ऋणों का पुनर्गठन किया गया।
- महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक होने के कारण सरकार द्वारा मार्च 2020 में कोवडि महामारी के मद्देनज़र देशव्यापी सख्त लॉकडाउन की घोषणा के बाद हज़ारों MSMEs या तो बंद हो गए या उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई।

## MSMEs की स्थिति में सुधार हेतु किये गए प्रयास:

- MSMEs की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु रज़िर्व बैंक और सरकार ने [आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना \(ECLGS\)](#) सहित कई उपाय पेश किये, जिसके तहत MSMEs और व्यवसायों को 3 लाख करोड़ रुपए का असुरक्षित ऋण प्रदान किया गया।
- रज़िर्व बैंक ने MSMEs को परसिंपत्त वर्गीकरण डाउनग्रेड के बनिा ऋण के एकमुश्त पुनर्गठन की योजना का लाभ उठाने की अनुमति दी और साथ ही कृषि, एमएसएमई व आवास क्षेत्र को ऋण देने हेतु [NBFCs](#) (गैर बैंक वित्तीय कंपनियों-एमएफआई के अलावा) को अनुमति दी।
- हालाँकि इन पुनर्गठन योजनाओं और पैकेजों से उन हज़ारों इकाइयों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ, जो पहले से ही डफिॉल्ट थीं।
- ऐसा इसलिये है, क्योंकि ECLGS योजना के तहत पात्र होने के लिये उधारकर्ता का बकाया 29 फरवरी, 2020 तक 60 दिनों से कम या 60 दिनों तक का होना चाहिये।
  - [रज़िर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट](#) के अनुसार, मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 के अंत तक MSME सेगमेंट में ऋण (वर्ष-दर-वर्ष) कम हो गया।

## NPA/बैड लोन से संबंधित कानून और प्रावधान:

- [सर्फेसी अधिनियम, 2002](#)
- [द्विाला और द्विालियापन संहिता \(IBC\)](#)
- [बैड बैंक](#)

## वर्गित वर्षों के प्रश्न

नमिनलखित में से कौन समावेशी विकास के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है? (2011)

1. स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना
3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: d

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

